भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 724

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया

अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा

724. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री भोला सिंह:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर अपने सभी वित्तीय आंकड़ों को समेकित करने में सक्षम बनाने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर (एए) ढांचे को ऑनलाइन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अकाउंट एग्रीगेटर्स के रूप में नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज एसेट डेटा सहित छह फर्मों को मंजूरी/लाइसेंस दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): आरबीआई ने 2 सितम्बर, 2016 को (5 अक्तूबर, 2021 को अद्यतन) मास्टर निदेश अर्थात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) – अकाउंट एग्रीगेटर (एए) निदेशों को जारी किया है जिसके माध्यम से अकाउंट एग्रीगेटर (एए) नेटवर्क को वित्तीय डाटा शेयरिंग सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो ग्राहकों को उनके वित्तीय अभिलेखों तक पहुंच और नियंत्रण उपलब्ध कराकर और वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं एवं फिनटेक कंपनियों के संभावित ग्राहक समूह का विस्तार करके उन्हें निवेश और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। एए व्यक्तिगत निदेश और सहमति के आधार पर एक वित्तीय संस्थान से दूसरे वित्तीय संस्थान में आंकड़ों को ले जाता है। तथापि, एए में पंजीकरण कराना ग्राहकों के लिए पूर्णत: स्वैच्छिक है।

(ग) से (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि आज की तिथि के अनुसार, उन्होंने छ: कंपनियों को अकाउंट एग्रीगेटर (एए) के रूप पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया है। इन कंपनियों का नाम निम्नानुसार है:-

(i) फिनसेक एए सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

(ii) कैम्स फाइनेंशियल इंफारमेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(iii) कूकीजार टैक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड

(iv) नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) असेट डाटा लिमिटेड

(v) परफिओज अकाउंट एग्रीगेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और

(vi) योडली फिनसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड

आज की तिथि के अनुसार, 94 वित्तीय संस्थाओं ने वित्तीय सूचना इकाई (एफआईओ) के रूप में एए प्लेटफार्म पर स्वयं को शामिल किया है, जिनमें से 73 संस्थाएं आरबीआई द्वारा विनियमित हैं, 10 संस्थाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित हैं और 2 संस्थाएं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित हैं। इसके अलावा, 26 वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में शामिल हुए हैं, जिनमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, 10 निजी क्षेत्र के बैंक हैं, 1 लघु वित्त बैंक और 3 जीवन बीमा कंपनियां हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आरबीआई ने 23 नवम्बर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से एए ढांचा के तहत वस्तु और सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) को एफआईपी के रूप में शामिल किया है।

*****